द्वितीय अध्याय

लेनदेनों की लेखा परीक्षा

2.1 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को जारी एवं उपयोग किये गये अनुदान पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष

राज्य की संचित निधि के आवर्धन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को संसाधनों की पूर्ति हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई है । इस संबंध में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को सामान्य क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र के लिए निर्धारित अवधि 2010–15 हेतु अनुदान की अनुशंसा की है। इस अनुदान के अतिरिक्त उन राज्यों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान वर्ष 2011–12 से उपलब्ध होगा जो उसके जारी होने के शर्तों का पालन करेगा। अनुदान के चार उप संवर्ग है।

(i) सामान्य मूल अनुदान
(ii) सामान्य निष्पादन अनुदान
(iii) विशेष क्षेत्र मूल अनुदान
(iv) विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 2011–12 में दिये गये अनुदान का विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाया गया है ।

लेखा परीक्षा द्वारा, वर्ष 2011–12 की जानकारी मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग, आयुक्त पंचायत राज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मंडला तथा सागर एवं उनके संबंधित जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा ग्राम पंयायतों से एकत्रित की गई। इससे संबंधित लेखा परीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये है –

2.1.1 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान विलंब से जारी किया जाना

तेरहवें वित्त आयोग के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पैरा 5.1 के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के जुलाई एवं जनवरी में दो किश्तों में जारी किया जायेगा । पैरा 6.2 के अनुसार कोई भी अनुदान की किश्त पूर्व में जारी किश्तों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही जारी होना थी। केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पैरा 7.5 के अनुसार राज्य का वित्त सचिव 10 दिवस के भीतर, केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसकों पंचायत राज संस्थाओं को जारी किए जाने की राशि एवं दिनांक दर्शाते हुए एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा।

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के अभिलेखों की समीक्षा (अगस्त 2012) में देखा गया कि वर्ष 2011–12 से संबंधित सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त में से राशि ₹ 507.34 करोड़ (सामान्य मूल अनुदान के प्रथम किश्त के ₹ 239.85 करोड़ एवं द्वितीय किश्त के ₹ 244.93 करोड़ तथा विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय प्रत्येक किश्त के ₹ 11.28 करोड़) भारत सरकार द्वारा देरी से जारी किये गये जैसा की **तालिका– 1** में दर्शाया गया है ।

तालिका– 1

स. क0	विवरण	भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी किए जाने की निर्धारित दिनांक	अनुदान जारी किए जाने की वास्तविक तिथि	अनुदान जारी किए जाने में विलंब की अवधि
1	सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की प्रथम किश्त	जुलाई 2011	8-12-2011	130 दिन[1]
2	सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की द्वितीय किश्त	जनवरी 2012	22-3-2012	50 दिन[2]

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त जारी किए जाने में क्रमशः 130 दिन तथा 50 दिन का विलंब हुआ। लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने (जनवरी 2013) पर विलंब के कारणों को न तो अभिलेखों में दर्ज किया जाना पाया गया और न ही लेखा परीक्षा को अवगत कराया गया।

2.1.2 अनुदान विलंब से हस्तांतरित किए जाने के कारण दायित्व का निर्माण

तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पैरा 4.2 के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओ को बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर पांच दिवस से भीतर हस्तांतरित करनी थी। अनुदान हस्तांतरण में निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने पर राज्य शासन को विलंबित अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर से किश्त के साथ ब्याज का भुगतान करना था ।

वित्त विभाग के अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया (अगस्त 2012) कि, वर्ष 2011–12 में सामान्य मूल अनुदान, विशेष क्षेत्र मूल अनुदान तथा सामान्य निष्पादन अनुदान की प्रथम किश्त तथा व्यपगत सामान्य निष्पादन अनुदान की राशि निर्धारित अवधि मे जारी नहीं किया गया जैसा कि **तालिका– 2** में दर्शाया गया है ।

[1] Aug 31+Sep.30+Oct.31+Nov.30+Dec.8=130days
[2] Feb.28+Mar.22=50days

तालिका क्र.–2

वर्ष 2011–12 में तेंरहवे वित्त आयोग के अनुदान का पंचायती राज संस्थाओं को विलम्ब से हस्तांतरण पर ब्याज की गणना

(₹ लाख में)

स. क.	अनुदान का नाम	केन्द्र सरकार से प्राप्त		कोषालय से आहरण			पंचायती राज को हस्तांतरण		हस्तांतरण में विलंब (दिनों में)	राशि जिस पर ब्याज की गणना की गई	ब्याज की राशि[3]
		राशि	दिनांक	देयक क्र.	दिनांक	राशि	राशि	दिनांक			
1	सामान्य मूल अनुदान-I	23985	8.12.11	395	14.12.11	23788.00	23788	16.12.11	3	23788	11.73
2	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान–I	1128	8.12.11	394	14.12.11	1128.00	1128	16.12.11	3	1128	0.56
3	सामान्य निष्पादन अनुदान–I	8270	31.3.12	592	31.3.12	7475.00	5000	11.9.12	159	5000	206.92
				593	31.3.12	795.00					
4	सामान्य निष्पादन अनुदान (व्यपगत[4])	2383.09	31.3.12	24	11.4.12	2383.09	3450	14.9.12	162	3450	145.47
5	सामान्य निष्पादन अनुदान (व्यपगत)	3349.19	31.3.12	23	11.4.12	3349.19	2400	20.9.12	168	2400	104.94
6	–	–	–	–	–	–	1975	24.9.12	172	1975	88.42
7	–	–	–	–	–	–	1175	11.12.12	250	1175	76.46
योग											634.50

स्त्रोत– वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन तथा आयुक्त पंचायत राज

उपरोक्त तालिका के अनुसार सामान्य मूल अनुदान तथा विशेष क्षेत्र मूल अनुदान, ग्राम पंचायतों को तीन दिन विलंब से हस्तांतरित किया गया । उसी प्रकार सामान्य निष्पादन अनुदान की प्रथम किश्त तथा सामान्य निष्पादन अनुदान व्यपगत की राशि ग्राम पंचायतों को 159 दिनों से 250 दिनों तक के विलंब से हस्तांतरित किया गया। वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायतों को विलंबित अवधि के लिए ब्याज राशि ₹ 6.35 करोड का भुगतान करना था। यह भी देखा गया कि आयुक्त, पंचायत राज द्वारा 2010–11 के अनुदान को विलंब से जारी किए जाने से देय ब्याज की राशि ₹ 2.98 करोड़ ग्राम पंचायतों को जारी किये जाने हेतु आहरित नहीं किया गया।

इंगित किए जाने पर आयुक्त, पंचायत राज द्वारा उत्तर (दिसंबर 2012) दिया गया कि ब्याज की स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिये गये थे।

आगे नमूना जांच किए गए 116 ग्राम पंचायतों में देखा (सितंबर से अक्टूबर 2012) गया कि सामान्य मूल अनुदान के प्रथम किश्त को जारी किए जाने में 20 से 125 दिन का

[3] भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर दिनांक 13.2.12 से 06 से 9.50 प्रति वर्ष संशोधित की गई थी उसी आधार पर ब्याज की गणना की गई है

[4] असराहनीय प्रदर्शनकारी राज्यों के व्यपगत अनुदान

विलंब हुआ तथा सामान्य मूल अनुदान के द्वितीय किश्त को जारी कर उनके बैंक खातों में जमा किए जाने पर 23 से 190 दिनों का विलंब हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में दर्शाया गया है । अतः ग्राम पंचायतों को विलंबित अवधि के ब्याज से वंचित किया गया।

2.1.3 निष्पादन अनुदान ग्राम पंचायतों को जारी न किया जाना

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के पैरा 6.4.2(अ) के अनुसार राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित एक बजट अभिलेख प्रस्तुत करेगी, जिसमें अनुदानों के अंतरण का योजना व गैर योजनावार विस्तृत वर्गीकरण मुख्य शीर्ष से आब्जेक्ट शीर्ष में पृथक से दिया जायेगा तथा उसे मुख्य बजट के अंतर्गत लधुशीर्ष 196,197 एवं 198 में दर्शाया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयुक्त पंचायत राज एवं अन्य संबंधितों को (सितंबर 2012) निर्देशित किया गया था कि निष्पादन अनुदान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुदान राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के लिए होगा।

आयुक्त पंचायत राज के अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2011–12 में कोषालय से सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में ₹140.02 करोड़ (सामान्य निष्पादन अनुदान की प्रथम किश्त राशि ₹ 82.70 करोड़ तथा अन्य राज्यों के व्यपगत अनुदान अंश ₹ 57.32 करोड़) आहरित किए गये थे जिसमें से ₹140 करोड़ जिला पंचायतों[5] तथा जनपद पंचायतों[6] को सितंबर 2012 से दिसंबर 2012 में जारी किए गये थे। आगे यह भी देखा गया कि आयुक्त पंचायत राज द्वारा ग्राम पंचायतों को कोई राशि जारी नही की गई ।

इंगित किए जाने (नवंबर 2012) पर आयुक्त, पंचायत राज ने (दिसंबर 2012) उत्तर दिया कि निधियों का उपयोग पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार किया गया।

उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि 70 प्रतिशत अनुदान राशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं की गई ।

2.1.4 ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार किए बिना व्यय किया जाना

तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत जारी राज्य के दिशा निर्देशों के पैरा 6 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को वार्षिक कार्य योजना (शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट)ग्राम सभा के अनुमोदन से तैयार करना चाहिये। उसके पश्चात ग्राम पंचायत शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को सूचनार्थ प्रेषित करेंगी तथा ग्राम पंचायतें शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के अनुसार कार्य करेंगी ।

मंडला एवं सागर जिलों के जनपदों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया कि वार्षिक कार्य योजना तैयार किये बिना निर्माण कार्यो के कार्यान्वयन पर व्यय किया गया।

इस संबंध में इंगित किए जाने (सितम्बर एवं अक्टूबर 2012) पर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों ने उत्तर दिया कि जनपद स्तर पर पंचपरमेश्वर योजना के

---

5 ₹ 1.00 करोड़ प्रति जिला पंचायत ₹50.00 + 11.75 करोड़ (जिला पंचायत देवास ₹ 1.75 करोड़, सिहोर ₹4.00 करोड़, रायसेन 1.00 करोड़, विदिशा 2.00 करोड़ तथा सागर 3.00 करोड़

6 ₹ 0.25 करोड़ प्रति जनपद पंचायत ₹ 78.25 करोड़

लिए कार्य योजना तैयार की गई थी, तदनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया था । इस प्रकार 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत बिना वार्षिक कार्य योजना तैयार किए कार्य कराये गये ।

2.1.5 ई–पंचायत योजना का कमजोर क्रियान्वयन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तेंरहवे वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान एवं उनके उपयोग के लिए जारी (अगस्त 2010)राज्य के दिशा निर्देशों के पैरा 4.1 के अनुसार ग्रम पंचायतों में वर्ष 2010–15 की अवधि में ई-पंचायत प्रकिया लागू करने के लिए सामान्य मूल अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान में से ₹ 745.19 करोड़ कटौत्रा की जानी थी। उक्त राशि में से ₹ 147.50 करोड़ वर्ष 2010–12 के लिए उपलब्ध कराये जाने थे, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:–

वर्ष	कुल प्राप्त अनुदान	ई-गवर्नेंस के लिए कटौती योग्य राशि	ग्राम पंचायतो को जो राशि जारी की जानी थी
2010–11	383.10	46.34	336.76
2011–12	596.07	101.16	494.91
योग	**979.17**	**147.50**	**831.67**

स्त्रोतः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी तेरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य शासन के दिशा निर्देश

राज्य के प्रमुख सचिव ने पांचवी (अगस्त 2012) उच्च स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में आयुक्त पंचायत राज को निर्देशित किया कि ई-पंचायत को लागू करने के संबंध में व्यय करने की प्रकिया भारत सरकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुमोदित करावें।

हमने देखा कि आयुक्त पंचायत राज द्वारा (सितंबर 2010) कोषालय से ₹ 191.55 करोड़ आहरित किया गया एवं उसमें से राशि ₹ 145.21 करोड़ ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किये गये। शेष राशि ₹ 46.34 करोड़ आयुक्त पंचायत राज द्वारा ई–पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिए बैंक खाते में जमा रखा गया । आगे, आयुक्त पंचायत राज द्वारा (मार्च 2011) राशि ग्राम पंचायतों को अंतरित किये जाने के स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल के बैंक खाते में जमा की गई । उक्त राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के खाते में दिनांक 7.11. 2011 तक निरूउद्देश्य जमा थी।

उक्त निरूउद्देश्य जमा राशि ₹ 46.34 करोड़ (नवंबर 2011) एवं ब्याज की राशि ₹ 97 लाख (दिसंबर 2012), मध्य प्रदेश राज्य तकनीकी ई पंचायत समिति को स्थानांतरित किया गया, जो कि ई –गवर्नेंस के प्रोत्साहन हेतु बनाई (जनवरी 2011) गई थी।

मध्य प्रदेश राज्य तकनीकी ई–पंचायत समिति द्वारा (फरवरी 2012) सिर्फ 42 जिला पंचायतों के 947 ग्राम पंचायतों को ₹ 9.47 करोड़[7] स्थानांनरित किए गए तथा ₹ 1.41 करोड़ (फरवरी 2012 में ₹ 74 लाख तथा मार्च 2012 में ₹ 67 लाख) बीएसएनएल को ग्राम पंचायतों को कनेक्टीविटी प्रदान करने हेतु भुगतान किए गये। किन्तु मध्य प्रदेश तकनीकी ई-पंचायत समिति ने वर्ष 2011–12 तक ₹ 10.88 करोड़ (₹9.47 करोड़ + ₹ 1.41 करोड़) के स्थान पर राशि ₹ 11.03 करोड़ व्यय किया जाना दर्शाया। अन्तर

[7] ₹ एक लाख प्रति ग्राम पंचायत

राशि ₹ 15 लाख (₹ 11.03–10.88 करोड़) का कारण स्पष्ट नहीं था। शेष राशि ₹ 36.28 करोड़ (दिसंबर 2012) अनुपयोगी पडी रही । आयुक्त पंचायत राज ने वर्ष 2011–12 में कुल प्राप्त राशि ग्राम पंचायतों को ई-गवर्नेंस की राशि ₹ 101.16 करोड़ की कटौती किये बिना ही हस्तांतरित कर दिया, जिससे म0प्र0 राज्य तकनीकी ई–पंचायत समिति को कोई राशि प्रदाय नहीं किया गया।

हमनें यह भी देखा कि प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आयुक्त पंचायत राज द्वारा उक्त व्यय के लिए व्यय प्रक्रिया का अनुमोदन भारत सरकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से नहीं कराया गया।

इंगित किए जाने (नवंबर 2012) पर, अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य तकनीकी ई–पंचायत समिति ने (दिसंबर 2012) बताया कि शासन के निर्देशानुसार सहमति लेखा परीक्षा तथा प्रीफेब्रीकेटेड/परंपरागत ई–पंचायत रूम के निर्माण हेतु शेष राशि के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर दिशा निर्देशों के अनुरूप नही है क्योंकि राशि ₹ 46.34 करोड़ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भोपाल के खातें में (मार्च 2011 से नवंबर 2011) सात माह तक निरूउद्देश्य जमा रही तथा केवल ₹ 11.03 करोड़ दिसंबर 2012 तक उपयोग की जा सकी एवं वर्ष 2011–12 में कोई भी राशि कटौती नहीं किया जाना राज्य में ई–गवर्नेंस के कियान्वयन की कमी को दर्शाता है ।

2.1.6 उपयोगिता प्रमाण पत्रों का अप्रस्तुत रहना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तेरहवें वित्त आयोंग के अनुदान के लिए जारी राज्य शासन के दिशा निर्देशों के पैरा 11 के अनुसार प्रत्येक जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों द्वारा सूचित व्यय के आंकडों को संकलित कर, एकीकृत उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त पंचायत राज को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक भेजना था ।

इस संबंध में दो जिलों (मंडला एवं सागर) के 116 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार नहीं किये गये। यद्यपि ₹ 6.68 करोड़ की उपलब्ध राशि में से केवल ₹ 2.86 करोड़ व्यय किए गये तथा ₹ 3.82 करोड़ (57 प्रतिशत) संबंधितों के पास बिना व्यय के पड़ी थी **(परिशिष्ट 2.3)**।

इंगित किए जाने पर आयुक्त, पंचायत राज ने (दिसंबर 2012) बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्रों के संकलन का कार्य किया जा रहा है । अद्यतन जानकारी मांगी गई (मई 2013), उत्तर प्रतीक्षित रहा।

2.1.7 करों/उपभोक्ता प्रभार की वसूली

2.1.7.1 संपत्ति कर का अधिरोपण/वसूली न होना

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के पैरा 6.4.8 के अनुसार समस्त स्थानीय निकायों को सम्पत्ति कर (सभी प्रकार के आवासीय एवं वाणिज्यिक सम्पत्तियों पर कर को सम्मिलित कर) के अधिरोपण के लिए समर्थ होना चाहिये तथा इस संबंध में किसी भी बाधा को दूर करना चाहिये । आगे, राज्य के दिशा निर्देशों के पैरा 3.2 के अनुसार ग्राम पंचायतों को कराधान के लिए प्रोत्साहित करने लिए एक निधि (13 वें वित्त आयोग के अनुदान का पांच प्रतिशत) का प्रावधान किया जाना था ।

116 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि केवल 56 ग्राम पंचायतों (48 प्रतिशत) ने सम्पत्ति कर का अधिरोपण किया तथा वर्ष 2011–12 में वसूली योग्य राशि ₹ 29.75 लाख (पिछले वर्षों की राशि ₹ 20.19 लाख एवं इस वर्ष की ₹ 9.56 लाख) में से ₹ 2.16 लाख (सात प्रतिशत) वसूल किए गये । विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दर्शित है ।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2012), आयुक्त पंचायत राज ने ग्राम पंचायतों को कराधान के प्रोत्साहन हेतु जारी किए जाने वाले निधि के प्रावधान का विवरण उपलब्ध नहीं कराया।

2.1.7.2 लंबित उपभोक्ता प्रभारों की वसूली न होना

राज्य शासन द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के पैरा 4.3.1 के अनुसार नल जल योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति के लिए नल कनेक्शन के उपभोक्ताओं से उपभोक्ता प्रभार वसूल करना था ।

मंडला एवं सागर जिले के 116 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि नल जल योजना केवल 28 ग्राम पंचायतों (24 प्रतिशत) में क्रियान्वयन थी। जल आपूर्ति के लिए उपभोक्ता प्रभार के लिए देय कुल राशि ₹ 42.07 लाख में से ₹ 32.30 लाख (77 प्रतिशत) की वसूली लंबित थी । विवरण **परिशिष्ट 2.5** दर्शाया गया है।

इंगित किए जाने पर (सितंबर से अक्टूबर 2012) ग्राम पंचायतों ने बताया कि उपभोक्ता प्रभार की वसूली की जायेगी। अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी गई (मई 2013) उत्तर प्रतीक्षित रहा ।

2.1.8 सामाजिक आंकेक्षण न किया जाना

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के लिए राज्य शासन के दिशा निर्देशों के पैरा 9.2 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की बैठक में निर्माण एवं विकास कार्यो का त्रैमासिक सामाजिक अंकेक्षण किया जाना था ।

मंडला एवं सागर जिले के 116 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि 107 ग्राम पंचायतों (92 प्रतिशत) में सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है।

इंगित किए जाने पर ग्राम पंचायतों ने उत्तर में बताया कि सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा। अद्यतन जानकारी मांगी गई (मई 2013), उत्तर प्रतीक्षित रहा।

2.1.9 निगरानी एवं मूल्यांकन की कमी

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के पैरा 9.1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति गठित की जायेगी जिसमें वित्त सचिव एवं संबंधित विभागों के सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। उच्च स्तरीय निगरानी समिति जहां आवश्यक हो, प्रत्येक अनुदान के विशिष्ट शर्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित करायेगी।

वित्त विभाग द्वारा राज्य के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति (जुलाई 2010) गठित की गई थी। उच्च स्तरीय निगरानी समिति की वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही में, न्यूनतम एक बैठक आयोजित की जानी थी।

हमनें यह देखा कि (दिसंबर 2012 तक) आवश्यक 10 बैठकों के स्थान पर केवल पाँच बैठकें आयोजित की गई, जो निगरानी की कमी को दर्शाती है ।

2.1.10 निष्कर्ष

- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार से राज्य शासन को प्राप्त स्थानीय निकायों के लिये अनुदान निर्धारित अवधि में पंचायत राज संस्थाओं को अंतरित नही किया गया। परिणामस्वरूप शासन पर ₹ 2.98 करोड़ एवं ₹ 6.35 करोड़ का दायित्व क्रमशः वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में निर्मित हुआ।

(पैरा 2.1.2)

- 70 प्रतिशत निष्पादन अनुदान ग्राम पंचायत को अंतरित नहीं किया गया ।

(पैरा 2.1.3)

- ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यो के कियान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किया गया।

(पैरा 2.1.4)

- ग्राम पंचायतों में ई–पंचायत योजना के कियान्वयन के लिये वर्ष 2011–12 में कोई निधि उपलब्ध नहीं करायी गई थी।

(पैरा 2.1.5)

- ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

(पैरा 2.1.6)

- अधिकांश ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया गया ।

(पैरा 2.1.8)

- प्रभावी निगरानी की कमी के कारण किए गये व्यय की स्थानीय निकाय वार तथा मद वार स्थिति उपलब्ध नहीं थी।

(पैरा 2.1.9)

2.2 बैंक के दिवालिया होने के कारण ₹ 1.82 करोड़ की हानि

बैंक के दिवालिया होने से योजना राशि ₹1.82 करोड़ की हानि के परिणामस्वरूप योजनाओं का कियान्वयन नहीं होना।

सचिव, नगरीय कल्याण विभाग की अध्यक्षता में, जिला विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारियों की उपस्थिति में भोपाल में एक बैठक आयोजित (मई 1992) की गई, जिसमें यह निर्देशित किया गया कि लेन देनों के खाते केवल वाणिज्यिक बैंक में हीं खोले जायें तथा सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक में नहीं।

जनपद पंचायत बुरहानपुर एवं खकनार के अभिलेखों की समीक्षा (अक्टूबर एवं नवंबर 2012) में देखा गया कि क्रमशः राशि ₹ 1.65 करोड़[8] तथा ₹ 0.17 करोड़[9]

---

[8] जनपद पंचायत बुरहानुपर द्वारा जमा राशि-इंदिरा आवास योजना ₹16.82 लाख, संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना राशि ₹ 6.72 लाख, गहन रोजगार योजना ₹ 1.02 लाख, जीवनधारा योजना ₹1.54 लाख, जवाहर रोजगार आवश्वासन योजना ₹0.35 लाख, सुनिश्चित रोजगार योजना ₹0.73 लाख और अन्य योजनाऐं जैसे सांसद एवं विधायक निधि, 10वां एवं 11वां वित्त आयोग, आदिवासी विकास, जनसम्पर्क निधि एवं पंचायत कर्मचारियों के वेतन आदि की राशि ₹ 78.22 लाख तथा विभिन्न योजनाओं की ब्याज की राशि सावधि जमा के रूप में ₹ 59.24 लाख।

[9] जनपद पंचायत खकनार द्वारा जमा की गई आदिवासी विकास,मध्यान्ह भोजन योजना एवं शिक्षाकर्मियों की वेतन की राशि ₹17.17 लाख।

(अक्टूबर 2012 को शेष)सिटीजन को-आपरेटिव बैंक बुरहानपुर में जमा थी। सिटीजन को-आपरेटिव बैंक बुरहानपुर को बैंकिंग व्यवसाय करने से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 15 जनवरी 2005 से रोक लगा दी गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त बैंक का बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए स्वीकृत लायसेंस इस आधार पर रद्द (मई 2009) कर दिया गया था, कि बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण राशि भुगतान करने की स्थिति में नहीं था। इस स्थिति में ₹ 1.82 करोड़ आहरित नही किये जा सके। आगे राशि की आंशिक एवं संपूर्ण वसूली संदिग्ध हो गयी।

इस संबंध में (अक्टूबर एवं नवंबर 2012) में इंगित किए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर तथा खकनार ने वास्तविकता स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (अक्टूबर एवं नवंबर 2012) कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिटीजन को-आपरेटिव बैंक पर रोक लगा देने के कारण राशि आहरित नही की जा सकी, परिणामस्वरूप शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन बुरी तरह से प्रभावित हुआ ।

आयुक्त, पंचायत राज ने भी वास्तविकता स्वीकार किया (अप्रैल 2013)।

इस प्रकार योजनाओं की निधि वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने के विभागीय निर्देशों का पालन नहीं करने से ₹ 1.82 करोड़ की हानि हुई तथा योजनाओं का उचित क्रियान्वयन नहीं हो सका एवं हितग्राही निर्धारित लाभ से वंचित रहे।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया (दिसंबर 2012 एवं मई 2013) उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुये।

दिनांक : 08/11/2013

स्थान : ग्वालियर

(जे0 आर0 मीना)
उप महालेखाकार
(सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा–प्रथम)
मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक : 08/11/2013

स्थान : ग्वालियर

(के0 के0 श्रीवास्तव)
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा)
मध्यप्रदेश